मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-जुलाई, 2014 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 3 जुलाई, 2014 (आषाढ़ 12, 1936)

समय 10.30 बजे दिन

1. स्थगन प्रस्ताव पर शासन का वक्तव्य ......(क्रमशः).

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 1 सन् 2014) पटल पर रखेंगी.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, गृह मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619 (क) की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2012-2013 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, दि स्टेट फायनेंसियल कार्पोरेशन एक्ट, 1951 (क्रमांक 63 सन् 1951) की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम का 58 वां वार्षिक प्रतिवेदन 2012-2013 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री –

(क) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 185 (2) (डी) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2012-2013, एवं

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) एम.पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013, तथा

(ii) मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 31 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013,

पटल पर रखेंगे.

5. मार्च, 2014 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

6. नियम 267-क के अधीन मार्च, 2014 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

7. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री कैलाश चावला, सचिन यादव तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा कृषकों को अधिक दर से खाद की बिक्री किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ. मोहन यादव तथा श्री जितू पटवारी, सदस्य उज्जैन जिला अंतर्गत क्षिप्रा नदी में प्रदूषित जल छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

9. विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 92-विजयराघवगढ़ से निर्वाचित सदस्य, श्री संजय पाठक तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 166-आगर (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री मनोहर ऊंटवाल के द्वारा विधान सभा में अपने स्थान का त्याग करने की सूचना.

10. सभापति तालिका की घोषणा

11. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री गोपीलाल जाटव, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है."

12. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य, खण्डवा जिले के -
(क) डायवर्सन टैक्स की विसंगति शीघ्र दूर किये जाने,
(ख) ब्रह्मगीर एवं कवेश्वर ग्रामों को मेला क्षेत्र घोषित किये जाने,
(ग) ग्राम नागचून,सिवना में नलजल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराये जाने, तथा
(घ) पुनासा उदवहन की चतुर्थ चरण बी . आर.- 4 की स्वीकृति प्रदान किये जाने,
(2) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के -
(क) ग्राम सहजपुर में पुलिस चौकी खोले जाने,
(ख) सोनपुर बांध का पानी सहजपुर तक पहुंचाये जाने, तथा
(ग) ग्राम रसेना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
(3) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के -
(क) ग्राम मुआर एवं उमरधा के बीच दुधी नदी पर पुल बनाये जाने,
(ख) ग्राम नांदनेर से मिढ़वानी तक सड़क बनाये जाने,
(ग) ग्राम बम्होरी कला के हाई स्कूल को हायर सेकेण्ड्री में उन्नयन किये जाने,
(घ) ग्राम बरेली(बरहटा) में 33/11 के. व्ही. का सब स्टेशन बनाये जाने तथा
(ड.) ग्राम ढाना से इकलोनी तक सड़क बनाये जाने,
(4) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, शहडोल जिले के -
(क) ब्योहारी शहर के बाहर बायपास निर्माण कराये जाने,
(ख)ग्राम कुण्डाटोला के कन्या प्राथमिक विद्यालय को मा. विद्यालय का दर्जा दिलाये जाने,
(ग) नगर पंचायत खांड(देवलोंद) अन्तर्गत बाण सागर परियोजना कालोनी में प्रभावित व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराये जाने तथा
(घ) ग्राम खरपा के गडडूहा नाला पर पुलिया निर्माण किये जाने
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे ।

13. वक्तव्य

(1) श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री –

(क) भूमि प्रयोजन में व्यपवर्तन के फलस्वरूप प्रीमियम निर्धारण में परिवर्तन के लिये नियम (धारा 59 के अधीन नियम) बनाये जाने के संबंध में एवं

(ख) स्थायी पट्टों के नवीनीकरण तथा स्थाई पट्टों की शर्त उल्लंघन/अपालन के मामलों के निराकरण की प्रक्रिया बनाये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को भूमि आवंटन की दर असिंचित कृषि भूमि के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारण किये जाने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

(3) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, विभिन्न रोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण करने के संबंध में वक्तव्य देंगी.

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014) के पुर:स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगी तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगी.

15. वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 2 जुलाई, 2014